

न्यायालय 34 तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला हुन्सुनु

मु०न०	किरम मु०	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
54/19	धारा 91	23.7.19	26.08.19

उन्वान सरकार बनाम पुजाराग पुत्र गणपतराम जाति गुर्जर नि० इस्कपुरा तहसील बुझाना जिला हुन्सुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकर्मी अनुपस्थित। मामला सौझित में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्बत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम इस्कपुरा की राजकीय भूमि 00मु० जोहड़ ख०न० 23 रकबा 7.40 किरम 00मु० जोहड़ में से 0.05 हे० भूमि पर अतिकर्मी बनाम पुजाराग पुत्र गणपतराम जाति गुर्जर नि० इस्कपुरा तहसील बुझाना ने अवैध रूप से बाजरा काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकर्मी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकर्मी उपस्थित हुआ। कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का गहनता से गन्जन किया गया। अतिकर्मी द्वारा किया गया अतिकर्मी जो काचिज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उपर अतिकर्मी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकर्मी घोषित किया जाता है। व जैर तहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकर्मी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये बाजरा की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान ~~556~~ की 50 गुणा जुर्माना राशि 278/- रु वतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०नि०/पटवारी हल्का को वारते जमा कायमी/वेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिकर्मीत भूमि से वारतविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वाद तकमील तामिल दारिखल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फौसला हो।

आज दिनांक 26.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

—

नायब तहसीलदार

मु० न० 54/19
किरम मु० धारा 91
रजु दिनांक 23.7.19
निर्णय दिनांक 26.08.19

...